विविध बैंक प्र0सं0 76/2017 भारतीय स्टेट बैंक शाखा जवाहर नगर श्रीगंगानगर जरिए सहायक महाप्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (रासमेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर बनाम श्रीमति राजेन्द्र कौर सिन्धा पत्नि श्री सुरेन्द्र सिंह सिंधा वार्ड न0 20 सेतिया फार्म, मेन रोड़, किला न0 20 मुरब्बा न0 58 चक 1ए छोटी (प्रेमनगर) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>28.11.2017</u>

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक का कथन है कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीया ऋणी श्रीमति राजेन्द्र कौर सिन्धा पत्नि श्री सुरेन्द्र सिंह सिंधा वार्ड न0 20 सेतिया फार्म, मेन रोड़, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 5,00,000/– रूपये (अखरे रूपये पांच लाख मात्र) ऋण दिनांक 31.01.2013 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीया ऋणी श्रीमति राजेन्द्र कौर सिन्धा ने अपना रिहायशी मकान स्थित वार्ड न0 20, सेतिया फार्म, मेन रोड़, किला न0 20, मुरब्बा न0 58, चक 1ए छोटी (प्रेमनगर) श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 17' गुणा 60' कुल 1020 वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थीया ऋणी द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 28.08.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थीया ऋणी की ओर दिनांक 14.09.2016 तक ऋण राशि 5,33,217–रूपये (ब्याज दिनांक 13.09.16 तक) एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीया ऋणी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस दिनांक 14.09.2016 को जारी किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीया ऋणी द्वारा बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया है और न ही नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अप्रार्थीया ऋणी श्रीमति राजेन्द्र कौर सिन्धा पत्नि श्री सुरेन्द्र सिंह सिंधा वार्ड न0 20 सेतिया फार्म, मेन रोड़, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पति रिहायशी मकान स्थित वार्ड न0 20, सेतिया फार्म, मेन रोड़, किला न0 20, मुरब्बा न0 58, चक 1ए छोटी (प्रेमनगर) श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 17' गुणा 60' कुल 1020 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने कुल 5,00,000/–रूपये (अखरे रूपये पांच लाख मात्र) ऋण दिनांक 31.01.2013 को अप्रार्थीया ऋणी श्रीमति राजेन्द्र कौर सिन्धा पत्नि श्री सुरेन्द्र सिंह सिंधा वार्ड न0 20 सेतिया फार्म, मेन रोड़, श्रीगंगानगर के नाम स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीया ऋणी श्रीमति सुरेन्द्र कौर ने अपना रिहायशी मकान स्थित वार्ड न0 20, सेतिया फार्म, मेन रोड़, किला न0 20, मुरब्बा न0

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

58, चक 1ए छोटी (प्रेमनगर) श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 17′ गुणा 60′ कुल 1020 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखा। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीया ऋणी श्रीमति राजेन्द्र कौर सिन्धा को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 14.09.2016 को बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस जारी किया किन्तु अप्रार्थीया द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद न तो बैंक की बकाया ऋण राशि जमा करवाई है और न ही मांग नोटिस के सम्बन्ध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

चूंकि बैंक द्वारा अप्रार्थीया ऋणी श्रीमति राजेन्द्र कौर सिन्धा पत्नि श्री सुरेन्द्र सिंह सिंधा वार्ड न0 20 सेतिया फार्म, मेन रोड़, श्रीगंगानगर के नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से नोटिस भिजवाया गया। प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र, प्रस्तुत रजिस्टर्ड ए.डी. रसीद के अनुसार अप्रार्थीया ऋणी श्रीमति राजेन्द्र कौर सिन्धा द्वारा नोटिस प्राप्त किया गया है **परिणाम स्वरूप नोटिस एवं रजि0 ए.डी. रसीद पर राजेन्द्र कौर के हस्ताक्षर उपलब्ध है।** नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीया ऋणी श्रीमति राजेन्द्र कौर सिन्धा द्वारा प्रार्थी बैंक की कोई बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है और न ही उसके द्वारा कोई जबाब या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया ऋणी श्रीमति राजेन्द्र कौर सिन्धा पत्नि श्री सुरेन्द्र सिंह सिंधा वार्ड न0 20 सेतिया फार्म, मेन रोड़, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी रिहायशी मकान स्थित वार्ड न0 20, सेतिया फार्म, मेन रोड़, किला न0 20, मुरब्बा न0 58, चक 1ए छोटी (प्रेमनगर) श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 17′ गुणा 60′ कुल 1020 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा जवाहरनगर, श्रीगंगानगर जरिए सहायक महाप्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (रासमेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीया ऋण श्रीमति राजेन्द्र कौर सिन्धा पत्नि श्री सुरेन्द्र सिंह सिंधा वार्ड न0 20 सेतिया फार्म, मेन रोड़, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पति रिहायशी मकान स्थित वार्ड न0 20, सेतिया फार्म, मेन रोड़, किला न0 20, मुरब्बा न0 58, चक 1ए छोटी (प्रेमनगर) श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 17′ गुणा 60′ कुल 1020 वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर